पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 84 / 2022

अनवान : —

1. इन्द्रपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. शर्मिला पत्नी धर्मपाल पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल अलीमोहम्मद त0 व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री हनुमान सहारण व वकील प्रतिवादी श्री भानूप्रताप सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 303 / 300 के खसरा सं0 390 की 2.3390है0 में प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम 1 / 8 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 93 / 93 के खसरा सं0 537 / 238 , 548 / 348 की कुल 3.8460है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम व इसी प्रकार चक रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 117 / 102 के खसरा सं0 57 की 9.9530है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम तथा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 62 / 58 के मु0न0 93 के किला न0 25 मु0न0 94 के किला न0 21 / 1 की कुल 0.3800है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल की बजाए वादी इन्द्रपाल प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल व प्रतिवादी सं0 2 सतवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार** घोषित किया **जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/7/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –84/2022

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. शर्मिला पत्नी धर्मपाल पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल अलीमोहम्मद त0 व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हनुमान सहारण वादी
श्री भानूप्रताप सिंह प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 6/7/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 303/300 के खसरा सं0 390 की 2.3390है0 में प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम 1/8 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 93/93 के खसरा सं0 537/238, 548/348 की कुल 3.8460है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम व इसी प्रकार चक रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 117/102 के खसरा सं0 57 की 9.9530है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम तथा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 62/58 के मु0न0 93 के किला न0 25 मु0न0 94 के किला न0 21/1 की कुल 0.3800है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा बीरबलराम की खातेदारी हुआ करती थी। बीरबलराम के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 के द्वारा जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में इन्द्रपाल पुत्र देवीलाल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदीया उक्त विवादित भूमि प्रदर्श 1 ता 6 व शपथ पत्र बाबत वारिसान करवायें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 303/300 के खसरा सं0 390 की 2.3390है0 में प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम 1/8 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 93/93 के खसरा सं0 537/238 , 548/348 की कुल 3.8460है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम व इसी प्रकार चक रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 117/102 के खसरा सं0 57 की 9.9530है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम तथा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 62/58 के मु0न0 93 के किला न0 25 मु0न0 94 के किला न0 21/1 की कुल 0.3800है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदीयों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 303/300 के खसरा सं0 390 की 2.3390है0 में प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम 1/8 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 93/93 के खसरा सं0 537/238 , 548/348 की कुल 3.8460है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम व इसी प्रकार चक रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 117/102 के खसरा सं0 57 की 9.9530है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम तथा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 62/58 के मु0न0 93 के किला न0 25 मु0न0 94 के किला न0 21/1 की कुल 0.3800है0 प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें **तन्हा प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल की बजाए वादी इन्द्रपाल प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल व प्रतिवादी सं0 2 सतवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...06/7/22... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शंकुन्तला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)